संघर्ष समिति

आल राजस्थान PHED कांट्रेक्टर एसोसिएशन
पता : अनिश्चितकालीन धरना स्थल,
मुख्यालय, जल भवन, जयपुर

ओमप्रकाश विश्नोई
अध्यक्ष संघर्ष समिति (94145-59970)

क्रमांक: संघर्ष समिति/2026-27/175-190 दिनांक: 10/06/2026

सेवा में,
श्रीमान भजनलाल जी शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार

विषय: **PHED संवेदकों के विगत तीन वर्ष से लंबित बकाया भुगतान, दिनांक 22.04.2026 के विभागीय समझौता पत्र के अनुपालन एवं आठ सूत्रीय मांगों के शीघ्र समाधान के संबंध में।**

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सविनय निवेदन है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के संवेदकों का विगत लगभग तीन वर्ष से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भारी राशि का भुगतान लंबित चल रहा है। उक्त भुगतान लंबित रहने तथा संवेदकों की आठ सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु “आल राजस्थान PHED कांट्रेक्टर एसोसिएशन” लगातार विभाग एवं राज्य सरकार के समक्ष संघर्षरत है, तथापि आज दिनांक तक न तो लंबित भुगतानों का समुचित निस्तारण किया गया है और न ही विभाग द्वारा किए गए आश्वासनों एवं समझौतों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

संघर्ष समिति एवं एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर विभाग एवं राज्य सरकार को निम्नानुसार अवगत करवाया गया:-

1. दिनांक 16.12.2025 को प्रमुख शासन सचिव, PHED एवं मिशन निदेशक, JJM को ई-मेल के माध्यम से विस्तृत ज्ञापन प्रेषित किया गया।

2. दिनांक 20.01.2026 को प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग; प्रमुख शासन सचिव, PHED; एवं मिशन निदेशक, JJM को संवेदकों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिस पर फरवरी 2026 तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन प्रदान किया गया।

3. दिनांक 22.03.2026 को पुनः विभाग को आठ सूत्रीय मांगों के शीघ्र समाधान हेतु अवगत करवाया गया।

4. दिनांक 07.04.2026 को राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया।

5. दिनांक 09.04.2026 को विभाग को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया गया।

6. संवेदकों के अथक प्रयासों के बावजूद भुगतान एवं समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण दिनांक 13.04.2026 को “संघर्ष समिति” का गठन कर जल भवन मुख्यालय, जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रारम्भ किया गया।

7. दिनांक 13.04.2026 से 21.04.2026 तक विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार वार्ताएं आयोजित हुईं, किन्तु किसी भी समस्या का व्यवहारिक समाधान नहीं हुआ।

ओमप्रकाश विश्नोई
अध्यक्ष संघर्ष समिति (94145-59970)

8. दिनांक 22.04.2026 को माननीय जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों एवं संघर्ष समिति के मध्य समझौता वार्ता आयोजित हुई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी (संदर्भ एवं आवश्यक अवलोकनार्थ हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।): -

(i) ₹300 करोड़ के भुगतान हेतु तत्काल व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया गया, किन्तु उक्त व्यवस्था अगले ही दिन निरस्त कर दी गई।

(ii) दिनांक 05.05.2026 तक समस्त लंबित भुगतानों के निस्तारण, पूर्ण हो चुके कार्यों के अंतिम बिल जारी करने, दो वर्ष की समय-वृद्धि प्रदान करने, 7% सुरक्षा जमा राशि लौटाने तथा आठ सूत्रीय मांगों के समाधान सहित भविष्य में पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध भुगतान प्रणाली लागू करने का आश्वासन दिया गया। उक्त आश्वासनों के आधार पर संघर्ष समिति द्वारा धरना स्थगित किया गया तथा विभाग के साथ सतत संवाद एवं वार्ता बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

(iii) महोदय जी, अत्यंत खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि दिनांक 14.05.2026 तक भी संवेदकों की किसी भी प्रमुख समस्या का समाधान नहीं किया गया। तत्पश्चात संघर्ष समिति की प्रमुख शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, JJM के साथ वार्ता हुई, जिसमें निम्न बिंदु तय किए गए:-

* ₹588 करोड़ की राशि OTMP एवं Major Projects (Quality & Quantity) मद में दिनांक 22 मई 2026 से भुगतान एसएनए स्पर्श (SNA SPARSH) के माध्यम से किए जाने का आश्वासन दिया गया।

* फाइनल बिलों के संबंध में पूर्व निर्देशानुसार लगभग 3300 योजनाओं में से 1100 योजनाओं का विवरण प्राप्त होना बताया गया तथा शेष विवरण आगामी 7 दिवस में प्राप्त होने की बात कही गई।

* विभागीय अधिशाषी अभियंताओं / अधीक्षण अभियंताओं / अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं द्वारा दिनांक 25.05.2026 तक न्यूनतम 100 परियोजनाओं के कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया।

* निर्धारित क्षतिपूर्ति (Liquidated Damages) की कटौती किए बिना परियोजनाओं की समयावधि वृद्धि हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना बताया गया, क्योंकि भुगतान में हुआ विलंब केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने में हुई देरी के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से संबंधित था।

* कोविड अवधि की भांति सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% से घटाकर 3% किए जाने एवं शेष राशि वापसी हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना बताया गया।

* रेट्रोफिटिंग कार्यों, NRDWP तथा O&M परियोजनाओं से संबंधित संवेदकों के लंबित भुगतानों का राज्य बजट (State Budget) से प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन प्रदान किया गया।

महोदय जी, यह भी निवेदन है कि जमा मद (S-443 एवं S-445) में भुगतान को 'Ways & Means' व्यवस्था से हटाकर सीधे ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए, ताकि जिस दिन संवेदक (ठेकेदार) अपना बिल प्रस्तुत करे, उसी दिन बिल जारी हो तथा उसी दिन सरकारी कोषागार द्वारा उसका भुगतान/निस्तारण भी किया जा सके। वर्तमान में सरकारी कोषागार द्वारा बिलों के भुगतान/निस्तारण में लगभग 45 दिन का समय लिया जाता है।

ओमप्रकाश विश्नोई
अध्यक्ष संघर्ष समिति (94145-59970)

"इसके अतिरिक्त Major Projects के भुगतान राज्य सरकार स्तर पर ही किए जाने हैं। केंद्र सरकार केवल पुनर्भरण (Reimbursement) योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को भुगतान करती है। अतः संवेदकों के समस्त लंबित भुगतानों का भुगतान राज्य सरकार के हिस्से से तत्काल करवाने की कृपा करें।

महोदय जी, वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक हो चुकी है। विगत तीन वर्ष से भुगतान लंबित रहने के कारण संवेदक गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। संघर्ष समिति की बैठक दिनांक 14.05.2026 में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री जी के "डीजल बचाओ अभियान" के समर्थन में, विभागीय परियोजनाओं में अनुबंधित सभी चार पहिया वाहनों को डीजल एवं भुगतान अभाव के कारण दिनांक 15.05.2026 से तत्काल प्रभाव से वाहन हटाया जा चुके हैं।

दिनांक 27.05.2026 को माननीय प्रमुख शासन सचिव, जन. स्वा. अभि. विभाग / वित विभाग, मिशन निर्देशक (JJM), समस्त मुख्य अभियंता के साथ हुई वार्ता में यह अवगत करवा दिया गया है कि जल आपूर्ति संचालन एवं रख-रखाव से जुड़े पम्प ऑपरेटर्स एवं अन्य सहायक कर्मचारी, लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण दिनांक 30.05.2026 से कार्य करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। संबंधित कर्मचारियों द्वारा अपनी-अपनी कंपनी के मालिकों को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि उनके बकाया भुगतान शीघ्र जारी नहीं किए गए, तो वे जल आपूर्ति संचालन एवं रख-रखाव कार्य जारी रखने में सक्षम नहीं होंगे।

दिनांक 29.05.2026 को श्रीमान वैभव जी गालरिया वित सचिव एंव समस्त मुख्य अभियंताओ से हुई वार्तानुसार 5 जून तक का समय माँगा गया, तत्पश्चात सभी ठेकेदारों ने जलापूर्ति संचालन एंव रख-रखाव से जुड़े इंजीनियरों/कर्मचारियों एंव तकनिकी स्टाफ को आश्वस्त किया की विभाग हमें 5 जून तक भुगतान करेगा हम आपका बकाया भुगतान 7 से 8 जून तक कर देंगे |

दिनांक 03.06.2026 को श्रीमान हेमन्त गेरा जी (प्रमुख शासन सचिव) के साथ संघर्ष समिति की वार्ता हुई, इस वार्ता के उपरांत, माननीय गेरा साहब ने दिनांक 05.06.2026 को विभाग के अधिकारियो एंव मिशन निदेशक (JJM PHED) के साथ पुन: विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया है |

"अतः हमारी 8 सूत्रीय मांगों के समाधान न होने तक, संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक विभाग द्वारा हमारी समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया जाता, तब तक राज्य के सभी ठेकेदार किसी भी नवीन निविदा (Tender) प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे।"

दिनांक 17.06.2026 से यदि राज्य में कहीं भी जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है अथवा संचालन एवं रख-रखाव बाधित होता है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग एवं राज्य सरकार की होगी। संघर्ष समिति एवं संवेदक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

अतः संघर्ष समिति पुनः आपसे क्रमबद्ध निवेदन करती है कि आप व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप कर विभाग को तत्काल प्रभाव से लंबित भुगतानों के निस्तारण एवं समझौता पत्र दिनांक 22.04.2026 के पूर्ण अनुपालन हेतु निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे राजस्थान की जनता को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा संवेदकों एवं कर्मचारियों को आर्थिक संकट से राहत मिल सके।

भवदीय,

अध्यक्ष - संघर्ष समिति

(आल राजस्थान PHED कांट्रेक्टर एसोसिएशन)

ओमप्रकाश विश्नोई

अध्यक्ष संघर्ष समिति (94145-59970)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
- माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
- माननीय मंत्री, जल जीवन मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली
- माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
- प्रभारी सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- मिशन निदेशक (JJM), PHED राजस्थान, जयपुर
- अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता, PHED, जयपुर
- मुख्य अभियंता (स्पेशल प्रोजेक्ट), PHED राजस्थान, जयपुर
- मुख्य अभियंता (JICA), PHED राजस्थान, जयपुर
- मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट), PHED राजस्थान, जोधपुर
- मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट), PHED राजस्थान, उदयपुर
- जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान

अध्यक्ष

संघर्ष समिति

(आल राजस्थान PHED कांट्रेक्टर एसोसिएशन)